श्री के.के. शुक्ला अधिवक्ता द्वारा अपने वकील पत्र के साथ शीघ्र सुनवाई का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। आवेदन विचारोपरांत स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

आरोपी कृष्णस्वरूप सहित श्री शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित। उन्होंने आरोपी की ओर से अंतर्गत धारा 44(2) जाफौ. का पेश किया।

आवेदन पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आरोपी कृष्णस्वरूप शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा के विरूद्ध परिवादी विद्युत कंपनी गोहद द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत वसूली हेतु 10352 रुपए का परिवाद पेश किया है। जिसमें आरोपी की आवश्यकता है। प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

आरोपी की ओर से आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जाफौ. पेश। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया। परिवादी की ओर से आवेदन का विरोध किया गया है तथा आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर मात्र 10352 रुपए की उर्जा चोरी अपराध है। आरोपी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा अपराध अजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत आवेदन विचारोपरांत न्याय हित में इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी प्रत्यके पेशी पर उपस्थित रहने बावत् 15000 रुपए की जमानत एवं समान राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे। अन्यथा जेल वारंट बनाकर जेल भेजा जावे।

प्रकरण पूर्ववर्त दिनांक 02.06.17 के पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद